



प्रेस नोट

दिनांक 19.07.2025

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व चोरी के साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, आज दिनांक 19.07.2025 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन/ व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान जैत माल बाबा रोड पर अभियुक्त मुन्नीलाल पुत्र गयादीन (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम बरगवां थाना जरिया जनपद हमीरपुर वर्तमान पता ऐंझी नहर के पास कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के कब्जे से 01 अदद तमंचा 32 बोर व 02 अदद साइकिल बरामद किये गये। तमंचा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त से साइकिल के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि दिनांक 18.07.2025 को कबाड़ बिनते हुए दो साइकिलें चुराई है। साइकिल चोरी के सम्बन्ध में पूर्व में थाना स्थानीय पर दिनांक 18.07.2025 को मु0अ0सं0 145/25 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तथा वादी मुकदमा से साइकिल चोरी के सम्बन्ध में पहचान करवाई गयी तो बताया कि यही उनकी साइकिल है, जो चोरी हुयी थी तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2)/317(2) की बढोत्तरी करते हुये गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विवेनचात्मक कार्यवाही की जा रही है। तथा अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

मुन्नीलाल पुत्र गयादीन (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम बरगवां थाना जरिया जनपद हमीरपुर वर्तमान पता ऐंझी नहर के पास कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण-

01अदद तमंचा 32 बोर व दो अदद साइकिल

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 146/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 145/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 182/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जरिया जनपद हमीरपुर
4. मु0अ0सं0 154/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर
5. मु0अ0सं0 185/18 धारा 401 भा0द0स0 थाना राठ जनपद हमीरपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह
- 2.हे0का0 संजय कुमार
- 3.का0 प्रदीप कुमार शर्मा

